

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

15 ⁵/₁₇

~~पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप,
अनुपरिषद / पीठासीन अधिकारी
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक को पेश हो~~
इसकी पेशी के पर पत्रावली क्षाज पेश हुई।

~~अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही हेतु~~
दिनांक 10.7.17 को पेश हो।

10 ⁷/₁₇

~~इसकी पेशी के पर पत्रावली क्षाज पेश हुई।~~

~~अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही हेतु~~
दिनांक 11.9.17 को पेश हो।

11.9.17

~~पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप,
अनुपरिषद / पीठासीन अधिकारी
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक को पेश हो~~

17.11.17

17 ¹¹/₁₇

~~पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप,
अनुपरिषद / पीठासीन अधिकारी
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25.7.18 को पेश हो~~

25.7.18

~~पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप,
अनुपरिषद / पीठासीन अधिकारी
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 8.3.18 को पेश हो~~

8.3.18

~~पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप,
अनुपरिषद / पीठासीन अधिकारी
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 29.5.18 को पेश हो~~

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	<p>08⁰¹/₁₈ हुकमवाही पेशी 22 नं पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी कोसे-पट/ अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-25/10/18 को पेश हो।</p> <p>25¹⁰/₁₈ पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी कोसे-पट/ अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-03/11/18 को पेश हो।</p>
03 ⁰¹ / ₁₉	<p>पत्रावली कैम्प कोर्ट रीगल में पेश हुई। वास्ते पेश होने जवाब अग्रणी से। एवं शेच जतिवकीरण की तलकी हेतु अग्रिम उत्तर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/04/19 को पेश हो।</p>
25 ⁰⁴ / ₁₉	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिम्मे उप./अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी कोसे- /अन्य कार्य में बास्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-14/06/19 को पेश हो।</p>
14 ⁰⁶ / ₁₉	<p>पत्रावली पेश हुई। उज्जान में बार-बार आवाज लगवाई गई। वकूलाय समयपक्ष अथवा पदकात्म में से कोई भी हजिर अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही उज्जान अदम हजिरी एवं अदम पेशी में खालीज की जाती है। पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा बाद तजमील दाखिल इस्त हो। नियम खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>